सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 248 राँची, गुरुवार, 31 वैशाख, 1948 (श०) / 21 मई, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

संकल्प

18 जनवरी, 2024

ज्ञापांक :- 05/म०स०/रा०यो०-AWC-निर्माण-254/2023-123--

विषय:- **राज्य योजनान्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष-2025-26 तक कुल 2500 आँगनबाड़ी केन्द्र भवन के निर्माण तथा इस पर कुल रू०-27732.00 लाख के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति।**

राज्यान्तर्गत 224 बाल विकास परियोजना अधीन सम्प्रति कुल 38,432 आँगनबाड़ी एवं लघु आँगनबाड़ी केन्द्र कार्यशील है। इन आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 06 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धातृ माताओं तथा किशोरी बालिकाओं को विभिन्न केन्द्र प्रायोजित एवं राज्य प्रायोजित सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही है। इनमें पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रतिरक्षा, शाला पूर्व शिक्षा, संदर्भ सेवाएँ इत्यादि प्रमुख है। इन केन्द्रों को माध्यम से लाभुकों के लिए पोषाहार की उपलब्धता, नियमित स्वास्थ्य जाँच, टीकाकरण इत्यादि सुविधाएँ सुनिश्चित की जाती है।

2. माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक-16.06.2023 को सम्पन्न बैठक में वर्ष-2024 के अंत तक सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों में भवन निर्माण की कार्रवाई भी पूर्ण करने का निदेश प्रदत्त है। कुपोषण उन्मूलन के महत्वकांक्षी लक्ष्य प्राप्ति हेतु इन लाभूकों को इन केन्द्रों के माध्यम से प्रदाय सेवाओं की गुणवत्ता एवं निरंतरता अक्षुण्ण रखने के उद्देश्य से विभाग प्रयासरत है कि राज्य के सभी भवनहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों में भवन निर्माण संबंधी कार्रवाई शीघ्रातिशीघ्र सम्पादित कराई जाय। इस हेतु जिलों के उपायुक्तों से विभिन्न मदों से निर्माण कार्य कराने तथा भूमि अधिग्रहण इत्यादि हेतु अनुरोध किया गया है।

3. समाज कल्याण निदेशालय के अनुश्रवण प्रतिवेदनानुसार सम्प्रति राज्य के 15,774 आँगनबाड़ी केन्द्र भवनहीन हैं एवं इनका संचालन किराया भवनों अथवा अन्य सरकारी भवनों में किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इनके विरूद्ध सम्प्रति 5480 आँगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण मनरेगा अभिसरण में कराने की स्वीकृति विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त जिलों द्वारा DMFT Fund तथा CSRFundसे भी आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण कराई जा रही है। साथ ही 13 वें वित्त आयोग के अनुदान से कतिपय आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण लंबित है जिनके भी शीघ्र पूर्ण करने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

सम्प्रति 2,609 आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माणाधीन है तथा वि०व०-2023-24 में 625 आँगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण स्वीकृत है। ये सभी स्वीकृति/कार्य जिलों में विभिन्न मदों से कराये जा रहे हैं।

4. राज्य के भवनहीन आँगनबाड़ी केन्द्रों में विभिन्न मदों तथा योजनाओं के अभिसरण में भवन निर्माण हेतु विभागीय कार्य योजना निम्नवत् विचारित है-

क्र०	**योजनाएँ (जिनके तहत् कार्य सम्पादित होंगे)**	**वर्ष-2025 तक प्रस्तावित निर्माण की संख्या**
i.	मनरेगा अभिसरण में केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत्	9480
ii.	राज्य मद से आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण योजना के तहत्	2500
iii.	अन्य योजनाओं के अभिसरण में/जिलों में DMFT/CSR मदों से भवन निर्माण	3794

5. उपर्युक्त कार्य योजना के अनुरूप कार्यान्वयन हेतु-

क) मनरेगा अभिसरण में केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत् महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्रति केन्द्र भवन रू०-2.00 लाख (केन्द्रांश: राज्यांश: 60: 40) के आधार पर स्वीकृति प्राप्ति एवं एतद् अनुरूप केन्द्रीय अंश प्राप्त कर कराई जायेगी। इसके तहत् आगामी तीन वर्षों में 9480 आँगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण अनुमानित है तथापि यह केन्द्रीय अंश विमुक्ति पर निर्भर होगी। प्राप्त राशि के अनुरूप स्वीकृत केन्द्रों मेंमें भवन निर्माण हेतु शेष राशि मनरेगा अभिसरण में प्राप्त कर निर्माण कार्रवाई मनरेगा के माध्यम से सम्पादित कराई जायेगी।

ख) राज्य मद में प्रस्तावित इस योजना के तहत् 2500 आँगनबाड़ी केन्द्र भवनों में निर्माण कार्रवाई आगामी तीन वर्षों में सम्पादित कराना विचाराधीन है।

ग) अन्य योजनाओं के अभिसरण में/जिलों में उपलब्ध विभिन्न मदों यथा- क्डथ्ज्ध्ब् ैत् सहित अन्य मदों के तहत् आगामी तीन वर्षों में 3739 आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण कराने का प्रयास किया जायेगा। इस हेतु संबंधित विभागों तथा जिलों से समन्वय स्थापित कर प्रशासी विभाग द्वारा योजना स्वीकृति तथा निर्माण कार्रवाई सम्पादित कराने का प्रयास किया जायेगा।

6. आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु वर्त्तमान अनुसूची दर (SOR) पर भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1443 (भ-4) (अनु॰), दिनांक-11.05.2023 के माध्यम से प्राक्कलन प्राप्त किया गया है, जिसमें रू॰-11.082 लाख प्रति केन्द भवन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है। एतद् प्राक्कलन में हॉल, स्टोर रूम, रसोई, बरामदा, शौचालय, स्वच्छता तथा पेयजल संबंधी निर्माण/अधिष्ठापन प्राक्कलित है।

7. चालू वित्तीय वर्ष-2023-24 में राज्य मद से आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु राज्य योजनान्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण योजना परिकल्पित है एवं इस हेतु कुल रू॰-10000.00 लाख का बजटीय उपबंध प्राप्त किया गया है।

8. उपर्युक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत राज्य योजनान्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

9. योजना का कार्यान्वयन निम्नवत् कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है-

a. योजनान्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1443 (भ-4) (अनु॰), दिनांक-11.05.2023 द्वारा स्वीकृत भवन प्राक्कलन के आधार पर किया जायेगा। (प्रति संलग्न)

b. आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु जिलों को राशि आवंटित की जायेगी। राशि का आवंटन जिलों में भवनहीन आँगनबाड़ी केन्द्र की संख्या के दृष्टिगत् अनुपातिक रूप से कराने का प्रयास किया जायेगा। जिलों में उपायुक्त द्वारा आवंटन के आधार पर भवनहीन आँगनबाड़ी केन्द्रों का चयन कर इनमें केन्द्र भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

c. एतद् हेतु उपायुक्त द्वारा अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति बहूल पोषक क्षेत्रों के भवनहीन केन्द्रों के चयन में प्राथमिकता दी जायेगी। चयन के क्रम में वैसे केन्द्र को भी प्राथमिकता देने पर विचार किया जायेगा जहाँ लाभार्थियों की संख्या तुलनात्मक रूप से अधिक एवं नियमित हैं। चयन के क्रम में इस तथ्य को भी दृष्टिपथ पर रखा जायेगा कि भवन निर्माण हेतु समुचित भूमि उपलब्ध हो जिनमें प्राक्कलित भवन, इसके चहारदिवारी तथा केन्द्र परिसर में पोषण वाटिका का निर्माण संभव हो।

d. जिलों द्वारा उपर्युक्त प्राक्कलन पर भवन निर्माण स्वीकृति के क्रम में स्वंय स्तर पर सक्षम प्राधिकार से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। एतद् हेतु जिलों में उपायुक्त द्वारा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करायेंगे।

e. जिलों में उपर्युक्त कार्यों के सम्पादन के क्रम में राज्य सरकार के प्रावधानित नियम/परिनियम/अनुदेश/दिशा-निर्देश अनुपालनीय होगा एवं उपायुक्त इस संबंध में नियमसम्मत कार्रवाईयाँ सुनिश्चित करायेंगे। जिला प्राधिकारों द्वारा उपर्युक्त कार्यों हेतु किसी खास वर्ष में आवंटित राशि के विरूद्ध निर्माण संबंधी कार्रवाई उक्त वर्षांत तक ही सम्पादित कराते हुए सुपुर्दगी सुनिश्चित कराने निमित्त प्रयास किया जायेगा।

f. राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय प्राधिकारों का दायित्व होगा कि एतद् योजना के तहत् स्वीकृत भवन निर्माण के अतिरिक्त अन्य योजनाओं तथा मदों से भी भवनहीन आँगनबाड़ी केन्द्रों में भवन निर्माण की कार्रवाई सुनिश्चित कराने हेतु प्रयासरत रहेंगे ताकि शीघ्रातिशीघ्र सभी आँगनबाड़ी केन्द्र में भवन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

10. योजनान्तर्गत वर्ष-2025 तक कुल 2500 आँगनबाड़ी केन्द्र भवन के निर्माण तथा इस पर कुल रू०-27732.00 लाख के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसके तहत्:-

a. उपर्युक्त कंडिका-7 के प्रावधानानुसार कार्य सम्पादित कराये जायेंगे।

b. भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1443 (भ-4) (अनु०), दिनांक-11.05.2023 द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन आधारित निर्माण संबंधी कार्रवाई की जायेगी।

c. निर्धारित अवधि तक कार्य सम्पादन सुनिश्चित करने निमित्त कार्यकारी संस्थाओं को उनके भौतिक एवं वित्तीय परिलब्धि के अनुरूप वर्ष-2025 तक 27732.00 लाख राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

d. उपर्युक्त अवधि में स्वीकृत आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु आवश्यक बजटीय प्रावधान प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराया जायेगा।

11. चालू वित्तीय वर्ष-2023-24 में योजना कार्यान्वयन हेतु कुल रू०-10000.00 लाख का बजटीय उपबंध प्राप्त है। राशि व्यय के दृष्टिगत् अतिरिक्त बजटीय प्रावधान आगामी अनुपूरक के माध्यम से प्राप्त किया जा सकेगा।

12. योजनान्तर्गत राशि योजना संबंधी निम्न बजटीय शीर्ष:-

(क) जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना- मुख्य शीर्ष-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-87-आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण योजना ;

(ख) अन्य क्षेत्रीय उपयोजनान्तर्गत- मुख्य शीर्ष-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-102-बाल कल्याण, उप शीर्ष-87-आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण योजना ;

-के उपयुक्त अनुगामी शीर्षों/इकाई के अन्तर्गत विकलनीय होगी।

13. एतद् संबंधी प्रावधान इसके संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

14. एतद् पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक-09.01.2024 को सम्पन्न बैठक की मद संख्या-20 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कृपा नन्द झा,
सरकार के सचिव

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 248 - 50